चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 10.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा महिला थाना का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने, रजिस्टर नंबर 04, रजिस्टर ऑर्डर बुक न्यायालय,महिला संबंधित रजिस्टर को चेक गया तथा महिला संबंधी प्राप्त प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। महिला हेल्प डेस्क में आये हुए प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,सीसीटीएनएस कार्यालय एवं थाना कार्यालय में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक कराने हेतु थानाध्यक्ष महिला थाना को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सुदामा प्रसाद पुत्र इन्द्रपाल निवासी दुगवा थाना भरतकूप जिला चित्रकूट को राजश्री के झोले में 45 अदद पाउच ठेका देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना भरतकूप

2.आरक्षी सतीश

(5). पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में दिनाँक 04.04.2025 से दिनाँक 10.04.2025 तक चल रहे 07 दिवसीय सीसीटीएनएस कैप्सूल कोर्स का क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली द्वारा समापन किया गया ।

07 दिवसीय प्रशिक्षण में डिस्ट्रिक कॉआर्डिनेटर मनीष वर्मा व आरक्षी धर्मेन्द्र प्रजापति के द्वारा कोर्स में नामित 12 पुलिस कर्मियों को सीसीटीएनएस के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी,जिसमें सीसीटीएनएस के सभी फार्मो की फीडिंग,ई-साक्ष्य एप,ई-सम्मन पोर्टल, साइबर सेल टीम द्वारा साइबर क्राइम,एवं आईजीआरएस टीम द्वारा आईजीआरएस के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। 07 दिवसीय सीसीटीएनएस कैप्सूल कोर्स में कोतवाली कर्वी में नियुक्त महिला आरक्षी रानी देवी द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) जनपद चित्रकूट श्री सचिन कुमार दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 10.04.2025 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अमरजीत पुत्र सविन्द्र सिंह निवासी 620 टुलही थाना निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

(7). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय

एस.सी. एस.टी./एन.डी.पी.एस. कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 10.04.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त राकेश बघेल पुत्र शिवप्रताप बघेल निवासी कस्बा व थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 18.05.2022 को वादी आबकारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राकेश बघेल उपरोक्त को 01 किलो 120 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 28/2022 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय को सुपुर्द की गयी विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपी के विरूद्ध दिनाँक 03.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।